न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री परसुराम धानका, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 43/17 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2023/00173

उनवान

1. शेर सिंह पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी गांगरसौली तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

..........................अपीलांट।

बनाम

1. मोहन सिंह पुत्र मंगूराम
2. खिलिया विधवा रतन सिंह
3. जवाहर
4. मोहन सिंह
5. हरदम सिंह
6. जगराम सिंह

(3 से 6) पुत्रान रतन सिंह; (1 से 6) जाति जाट निवासी गांगरसौली तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर

.... रेस्पोंडेंट ।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर दिनांक 14.01.2013 प्र.संख्या 98/09 उनवानी मोहन सिंह बनाम शेर सिंह।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री भूपत कुमार जैन उपस्थित।
2. वकील रेस्पोंडेंट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।

निर्णय दिनांक–27.06.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.01.2023 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी उभयपक्षकारान की शामिल कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। वर्तमान में उभयपक्षकारान में शामिल

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

काश्त करने में आये दिन झगडा होता रहता है। अतः विवादित आराजी का उभयपक्षकारान के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से प्राथमिक डिक्री करते हुये तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलव किये एवं प्राप्त विभाजन प्रस्तावों के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.08.2017 से अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय की प्राथमिक डिक्री की पालना में जो विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये वह नियमानुसार नहीं थे। जिसकी बाबत् अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने एतराज लिखित में पेश किये। जिनका प्रत्युत्तर रैस्पो0 द्वारा नहीं दिया गया। परन्तु फिर भी एतराज खारिज करते हुये, प्रकरण में अन्तिम डिक्री पारित कर दी। प्रकरण में जो विभाजन प्रस्ताव आये हैं वह स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा तैयार किये गये हैं। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलाण्ट को नहीं बुलाया गया है। जबकि विभाजन प्रस्ताव पक्षकारो की मौजूदगी में उनकी सहमति के आधार पर बनाया जाना आवश्यक है। नियम 18 से 21 की कोई पालना नहीं की गयी है। अच्छी अच्छी आराजी रैस्पो0 को दी गयी है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे(29)2022 पेज 8 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुये, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तलव करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर बनाये गये हैं व नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना की गयी है। खसरा नम्बर 737 के 2 भाग बनाये 6 एयर मोहन सिंह व 7 एयर शेर सिंह को दिया। खसरा नम्बर 736 व 740 0.23 अन्य रैस्पो0 को दिये। शेष आधे में 2/3 हिस्सा 14 एयर व 7 एयर शेर सिंह को मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन प्रस्ताव बना दिये। खसरा नम्वर 737 में अपीलाण्ट को हिस्से अनुसार दिये। अपीलाण्ट ने विभाजन प्रस्तावो पर अधीनस्थ न्यायालय में एतराज प्रस्तुत किया गया था। अपीलाण्ट का एतराज प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई इसलिये खारिज कर दिया क्योंकि अपीलाण्ट ने आराजी के लिये रास्ते की मॉग की थी। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार ने विभाजन के नियमो की पूर्ण पालना करते हुये, अच्छी मे से अच्छी एवं वुरी में से वुरी के बनाये गये हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि शेष नहीं रहती है। अन्त में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

5. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्तावो के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव, विभाजन के नियमो की पालना करते हुये तैयार किये गये हैं एवं उन पर तहसीलदार के हस्ताक्षर भी अंकित हैं। विभाजन प्रस्तावो में स्पष्ट अंकित है कि विभाजन प्रस्ताव दोनों पक्षो की उपस्थिति में तैयार किये गये एवं उन्होनें कब्जे अनुसार कुर्रे बनाये जाने की सहमति व्यक्त की एवं अन्य प्रकार से कुर्रे बनाये जाने में आपत्ति व्यक्त की गयी। अतः उक्त तथ्य को तब तक सत्य माना जावेगा, जब तक अपीलाण्ट उसे किसी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं कर देते, बिना साक्ष्य मौखिक कथन प्रभावहीन हैं। इसके अलावा विभाजन प्रस्तावो के साथ नियमानुसार नजरी नक्शा भी तैयार किया गया है एवं उक्त नक्शे में उपविभाजित भूमि(बटा नम्बरों) को पृथक–पृथक रंगो से दर्शाया गया है। इस प्रकार अपीलाण्ट के कथनो में हम कोई बल नहीं पाते हैं। जहॉ तक अपीलांट की अन्य आपत्ति कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्तावो पर आपत्ति प्रस्तुत की गयी का प्रश्न है। अपीलाण्ट की उक्त आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई विधिवत रूप से निस्तारित की जाकर, प्रकरण में अन्तिम डिक्री पारित की गयी है। अपीलाण्ट द्वारा विभाजन प्रस्तावो पर आपत्ति ना करते हुये, मात्र अपने कुर्रे पर पहुॅचने के लिये रास्ते का निवेदन किया गया है। परन्तु विभाजन के प्रकरणो में रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। रास्ते हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पृथक से प्रावधान किये गये हैं। अपीलाण्ट उस प्रावधान के तहत पृथक से चाराजोही करने को स्वतंत्र हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.01.2013 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर